मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक–एफ–12–01/2013/सामा./19 भोपाल,दिनांक 15/06/2016

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण, मध्यप्रदेश,
निर्माण भवन, भोपाल।

विषयः– निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु वाहनों को किराये पर लिये जाने की अनुमति बाबत्।
संदर्भः– आपकी टीप क्र.–401/सा./विविध/वि.यां./2015/480, दिनांक 17.05.2016

––ooo––

राज्य शासन एतद् द्वारा पी.आई.यू. एवं भवन/सड़क संभागों में कार्यरत् मैदानी सहायक यंत्रियों (अनुविभागीय अधिकारियों) को पूर्व में अनुबंधित किराये के वाहनों के 15 दिवस के स्थान पर पूरे माह के लिये उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई थी। यह आदेश दिनांक 31 मार्च 2015 तक ही प्रभावशील था।

लोक निर्माण विभाग के कार्यरत् मैदानी सहायक यंत्रियों (अनुविभागीय अधिकारियों) को अब पुनः पूरे माह वाहन किराये पर लिये जाने की अनुमति वित्त विभाग के संबंधित परिपत्र दिनांक 06 अक्टूबर 2012 एवं परिपत्र दिनांक 24.12.2013 में वर्णित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किराये पर लिये गये वाहनों की वर्तमान व्यवस्था विभाग के अन्तर्गत चल रहे कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम 285 वाहन, अप्रेल 2016 से मार्च 2017 तक किराये पर लिये जाने की सहमति इस शर्त के साथ पूर्व में दी गई स्वीकृति एवं अनुबंधित शर्तों के आधार पर दिनांक 31.03.2017 तक निरंतर रखने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा उनकी टीप क्रमांक–573/आर.–696/ब–9/चार, दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुनील मड़ावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग

Sharma Latters

पृ.क्रमांक–एफ–12–01/2013/सामा./19 भोपाल,दिनांक /06/2016

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय की ओर उनकी सहमति टीप क्र.–573/आर.–696/ ब–9/चार, दिनांक 03.06.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, मा0मंत्री, म0प्र0शासन, लोक निर्माण विभाग।
3. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0शासन, लोक निर्माण विभाग।
4. परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू., निर्माण भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा।
7. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. आदेश पुस्तिका।

15/06/16

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

Sharma Letters